न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 258 / 2023

पीठासीन अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

अन्तर्गत धारा 131,136 रा.भू.रा.अ.

अनवान :–

प्रार्थीगण :– 1. बाबूखान पुत्र खैरदीन 2.हासम पुत्र मजना
जाति सिंधी मुसलमान, निवासी कोनरा
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण:– 1. सेफल पुत्र दूरा 2.मुबिनखान पुत्र सेफल
जाति सिंधी मुसलमान, निवासी कोनरा
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर
3.शाखा प्रबन्धक RMGB बैंक शाखा चौहटन
4.तहसीलदार चौहटन

अधिवक्तागण –

प्रार्थीगण :– **श्री बलदेवसिंह राठौड़**
विप्रार्थीगण :– **श्री शाकर खान एच.**

निर्णय

दिनांक :– 07/05/25

प्रार्थीगण के आवेदन का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि मौजा बूठ राठौड़ान, पटवार हल्का बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में खेत खसरा सं. 693 / 249 रकबा 07.2843 हैक्टयर, खसरा सं. 691 / 249 रकबा 06.9606 हैक्टयर की आई हुई है। इसी मूल खसरा सं. 249 में विप्रार्थीगण की भूमि खसरा सं. 692 / 249 रकबा 08.9031 हैक्टयर की आई हुई है।

प्रार्थीगण की अपनी भूमि पर आवासी ढांणी मौके पर बनी हुई है, वर्तमान में ऑनलाईन राजस्व रेकर्ड में राजस्व कर्मचारियों ने विप्रार्थीगण से मिलकर कब्जा काश्त नजरअन्दाज कर गलत तरमीम ऑनलाईन कर दी जिसकी वजह से प्रार्थीगण का मौके व रिकॉर्ड में बदलाव आ गया और मौके पर विवाद की स्थिति पैदा हो गई । प्रार्थीगण को अपने राजस्व संबंधी समस्त कार्य करने में काफी परेशानियां आ रही है, इसलिये

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रार्थीगण वर्तमान कब्जा काश्त अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में तरमीम शुद्धि कराना चाहते है। जिस हेतु आवेदन पेश कर इस्तदुआ चाही गई है।

प्रार्थीगण का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया। विप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री शाकर खान एच. ने वकालतनामा पेश किया। प्रार्थीगण की ओर से आवेदन में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए तरमीम संबंधी जांच कर मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया, विप्रार्थी वकील को इसमें कोई आपति नहीं होने से आवेदन में वर्णित वादग्रस्त भूमि की तरमीम दुरस्ती की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा गया।

शेष विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 3 की ओर से जवाब पेश किया गया । तहसीलदार चौहटन से तरमीम दुरस्ती संबंधी तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। उपस्थित अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। उपस्थित अधिवक्ताओं ने तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट स्वीकार की तथा निवेदन किया कि तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार आवेदन का निस्तारण किया जावे।

विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया । पत्रावली पर सलंग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । जिसके आधार पर स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act का स्वीकार किया जाकर तहसील चौहटन के मौजा बूठ राठौड़ान, पटवार हल्का बूठ राठौड़ान, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर में खेत खसरा सं. 693/249 रकबा 07.2843 हैक्टयर, खसरा सं. 691/249 रकबा 06.9606 हैक्टयर, खसरा सं. 692/249 रकबा 08.9031 हैक्टयर भूमि की तरमीम तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट के प्रपत्र "अ" अनुसार तरमीम दुरस्त करने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार चौहटन से प्राप्त रिपोर्ट फर्द मय नक्शा निर्णय का अनिवाय अंग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 07/05/25 [illegible] सुनाया गया।

पत्रावली निर्णय शुमार होकर [illegible] से एक कम हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

पारावली प्रथा को पक्षमानन आधिकार

प्रपत्र 2

नक्शा मौका अनुसार (प्रपत्र ख)

राजस्व आदेश न. 258/2023
न्यायालय SDO चौहटन
बाबूखान वगैरह V/s
सेफल वगैरह
[illegible]

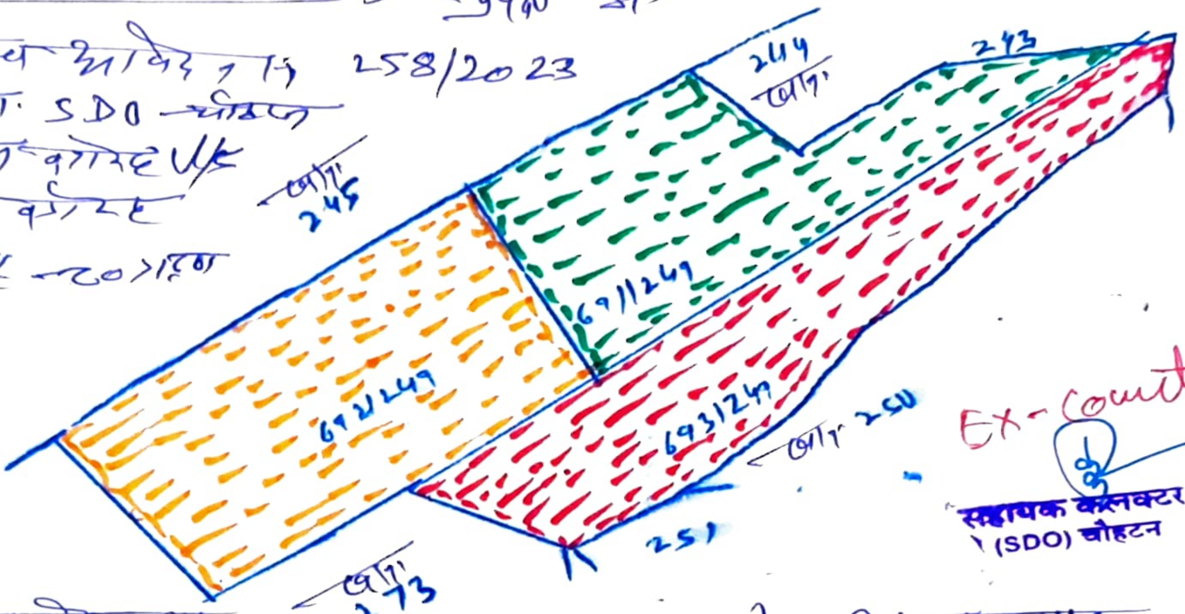

Ex-Count
सहायक कलेक्टर (SDO) चौहटन

खातेदार नाम	खसरा	रकबा हे०	किस्म	लगान
सेफल पुत्र ईसा 19/20 हि० मुबीन खान पुत्र सेफल 1/20 कौम सिन्धी मुसलमान निवासी [illegible]	692/249	= 8.9031 रंग केसरीया	बारानी	1.69
हासम पुत्र [illegible] कौम सिन्धी मुसलमान निवासी [illegible]	691/249	= 6.9606 रंग हरा	बारानी	1.32
कालू पुत्र खेरदीन कौम सिन्धी मुसलमान निवासी [illegible]	693/249	7.2843 रंग लाल	बारानी	1.38

उक्त नक्शा अनुसार [illegible] वर्तमान के [illegible] पर [illegible] स्वीकृति [illegible] करवाए जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.05.23 17:17:46 IST
Reason: SelfAttested

C.S
तहसीलदार

[illegible signatures]